सत्यमेव जयते

# THE
# JHARKHAND GAZETTE
## EXTRAORDINARY
## PUBLISHED BY AUTHORITY

**17 VAISHAKH 1948 (S)**

**No. 217**

**RANCHI THURSDAY 7th MAY, 2026**

## COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

---

NOTIFICATION
7th MAY,20 26

### Notification No.- 16/2025 – State Tax(Rate)

**S.O. No. 57, Dated 5th May, 2026:-** In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Commercial Taxes Department, number 12/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 42, dated the 29th June, 2017, namely:—

In the said notification,-

(a) In the table, -

(i) against serial number 18, in column (3), after clause (b), the following explanation shall be inserted, namely:-
"Explanation. - Nothing contained in this entry shall apply to:

(ii) local delivery services provided by an Electronic Commerce Operator; or

(iii) local delivery services provided through an Electronic Commerce Operator.";

(ii) after serial number 36B and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "36C | Heading 9971 | Services of life insurance business provided by an insurer to the insured, where the insured is not a group.<br><br>[Please refer to clause (zfb) in para 2]<br><br>*Explanation:* For the removal of doubts, it is hereby clarified that:<br>a. This exemption shall apply to a contract of insurance where the insured is an individual, or an individual and family of the said individual.<br>b. For the purposes of (a) above, family shall include all individuals insured as family in the contract of insurance. | Nil | Nil |
| 36D | Heading 9971 | Services of health insurance business provided by an insurer to the insured, where the insured is not a group.<br><br>[Please refer to clause (zfb) in para 2]<br><br>*Explanation:* For the removal of doubts, it is hereby clarified that:<br>a. This exemption shall apply to a contract of insurance where the insured is an individual, or an individual and family of the said individual.<br>b. For the purposes of (a) above, family shall include all individuals insured as family in the contract of insurance. | Nil | Nil |
| 36E | Heading 9971 | Reinsurance of the insurance services specified in serial numbers 36C or 36D. | Nil | Nil"; |

(b) in paragraph 2,

(i) for clause (ze), the following shall be substituted, namely: -

"(ze)'goods transport agency' means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called, but does not include

(i) an electronic commerce operator by whom the services of local delivery are provided,

(ii) an electronic commerce operator through whom the services of local delivery are provided";

(ii) after clause (zfa), the following clause shall be inserted, namely:-

"(zfb) For the purposes of entries at serial numbers 36C and 36D in the table above, 'group' means group of persons who join together with a commonality of purpose or for engaging in a common economic activity, other than availing insurance, and includes:

a. Employer– employee groups, where an employer-employee relationship exists between the master/group policyholder and the members of the group in accordance with the applicable laws;

b. Non employer– employee groups, where a clearly evident relationship exists between the master/group policyholder and the members of the group, for services/ activities other than insurance.";

(iii) after clause (zg), the following clause shall be inserted, namely: -

"(zga) 'health insurance business' means the effecting of contracts which provide for sickness benefits or medical, surgical or hospital expense benefits, whether in-patient or out-patient, travel cover and personal accident cover;".

2. This notification shall be deemed to effective from the 22nd day of September, 2025.

[File. No. Va.Kar/GST/01/2025]
By the order of the Governor of
Jharkhand,

**Ameet Kumar**
Commissioner,
Commercial Taxes Department

Note: The principal notification No. 12/2017 - State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 42, dated the 29th June, 2017 and was last amended vide notification number 06/2025- State Tax (Rate), dated the 09th July, 2025 published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 38, dated the 09th July, 2025.

# वाणिज्य-कर विभाग

---

## अधिसूचना

**अधिसूचना सं०. 16/2025- राज्य कर (दर)**

**एस. ओ. सं. 57, दिनांक 5 मई, 2026-** झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा ( 3 ) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 12/2017 - राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. सं. 42, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 18 के समक्ष, स्तंभ ( 3 ) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण.- इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:

(i) किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली स्थानीय वितरण सेवाए; या

(ii) किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली स्थानीय वितरण सेवाएँ।";

(ii) क्रम संख्या 36ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 36ग | शीर्ष 9971 | बीमाकर्ता द्वारा बीमित को प्रदान की जाने वाली जीवन बीमा व्यवसाय सेवाएँ, जहाँ बीमित एक समूह नहीं है।<br>[कृपया पैरा 2 में खंड (जेडएफबी) देखें]<br>स्पष्टीकरण: शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि:<br>क. यह छूट उस बीमा अनुबंध पर लागू होगी जहाँ बीमित एक व्यक्ति है, या एक व्यक्ति और उसका परिवार है।<br>ख. उपर्युक्त (क) के प्रयोजनों के लिए, परिवार के लिए बीमा अनुबंध में परिवार के रूप में बीमित सभी व्यक्ति शामिल होंगे। | शून्य | शून्य |
| 36घ | शीर्ष 9971 | बीमाकर्ता द्वारा बीमित को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय सेवाएँ, जहाँ बीमित एक समूह नहीं है।<br>[कृपया पैरा 2 में खंड (जेडएफबी) देखें]<br>स्पष्टीकरण: शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि:<br>क. यह छूट उस बीमा अनुबंध पर लागू होगी जहां बीमित एक व्यक्ति है या एक व्यक्ति और उसका परिवार है।<br>ख. उपर्युक्त (क) के प्रयोजनों के लिए, परिवार के लिए बीमा अनुबंध में परिवार के रूप में बीमित सभी व्यक्ति शामिल होंगे। | शून्य | शून्य |
| 36ङ. | शीर्ष 9971 | क्रम संख्या 36ग या 36घ में निर्दिष्ट बीमा सेवाओं का पुनर्बीमा । | शून्य | शून्य |

(ख) पैरा 2 में,

(i) खंड (जैडई) के स्थान पर निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(जैडई) 'माल परिवहन एजेंसी' से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं

(i) कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसके द्वारा स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं,

(ii) कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसके माध्यम से स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं;

(ii) खंड (जैडएफए) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(जैडएफबी) Åपर तालिका में क्रम संख्या 36ग और 36घ की प्रविष्टियों के प्रयोजनों के लिए, 'समूह " का अर्थ व्यक्तियों का समूह है जो बीमा प्राप्त करने के बजाय एक समान उद्देश्य से या एक समान आर्थिक गतिविधि में संलग्न होने के लिए एक साथ आते हैं, और इसमें शामिल हैं;

क. नियोक्ता-कर्मचारी समूह, जहाँ मास्टर / समूह पॉलिसीधारक और समूह के सदस्यों के बीच, लागू कानूनों के अनुसार, नियोक्ता कर्मचारी संबंध विद्यमान हो;

ख. गैर-नियोक्ता-कर्मचारी समूह, जहाँ बीमा के बजाय अन्य सेवाओं / गतिविधियों के लिए मास्टर/समूह पॉलिसीधारक और समूह के सदस्यों के बीच स्पष्ट संबंध विद्यमान हो।";

(iii) खंड (जैडजी) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(जैडजीए) 'स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय' का अर्थ ऐसे अनुबंधों का कार्यान्वयन है जो रूग्णता लाभ या चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अस्पताल व्यय लाभ, चाहे वे आंतरिक रोगी हों या बाह्य रोगी, यात्रा कवर और व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करते हैं;" ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 22 सितंबर, 2025 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/01/2025]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

**अमीत कुमार,**
आयुक्त,
वाणिज्य-कर विभाग।

**नोट:** मूल अधिसूचना संख्या 12/2017 राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में एस. ओ. सं. 42, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 06/2025 - राज्य कर (दर), दिनांक 9 जुलाई, 2025 को झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में एस. ओ. सं. 38, दिनांक 9 जुलाई, 2025 के तहत अंतिम संशोधन किया गया था।

---

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 217-- 50.